न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-413Ju2024-162 Premsingh Vs State of Rajasthan etc

प्रेमसिंह पुत्र तखतसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नोख, तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. *राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप।*
02. *प्रेरक ग्रीन टेक सोलर प्रा. लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि भवानी शंकर पुत्र नरेश कुमार पंजीकृत कार्यालय एल-11 प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेशन साऊथ दिल्ली 110016*

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 06 सितंबर 2024 राजस्व वाद संख्या 112/2024 प्रेमसिंह बनाम सरकार

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री मनोहरसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 02 मई 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 112/2024 प्रेमसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 06 सितंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 26 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम नोख के खसरा नं0 172 रकबा

138 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 173 रकबा 93 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 2751/3102 रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा भूमि का पर्चा लगान वक्त बन्दोबस्त वाद के नाम से जारी किया गया तथा वादी का नाम वक्त बंदोबस्त से बतौर खातेदार दर्ज किया गया। राज्य सरकार को लगान भी वादी की ओर से अदा किया गया। वादी द्वारा बिगोडी भी अदा की गई। वादी के पक्ष में पर्चा लगान जारी किये जाने के तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि को सिवाय चक गलत रूप से जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया, बल्कि जमाबन्दी में पर्चा लगान की एन्ट्री को यथावत रखते हुए वादी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। वादी ने अपने वाद में अनुतोष चाहा कि पर्चा लगान अनुसार वादी को पुनः खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। वादी का उक्त वाद सहायक कलेक्टर पोकरण में दर्ज हुआ था। तत्पश्चात नोख ग्राम को तहसील बाप में सम्मिलित कर दिये जाने से दिनांक 31-07-2024 को उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी पोकरण से बाप में दर्ज रजिस्टर की गई। उपरोक्त वाद में दिनांक 06-09-2024 को तहसीलदार बाप द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट के पक्ष में जारी पर्चा लगान के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि

का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से बिना किसी सक्षम आदेश के वादी का नाम राजस्व रेकर्ड हटाकर वादग्रस्त भूमि को सिवाय चक घोषित कर दिया। उक्त दुरूस्ती को सुधारने हेतु वादी के पास संबंधित सहायक कलेक्टर में नियमित राजस्व वाद पेश करने के अलावा कोई कानूनी उपचार उपलब्ध नही था। इस कारण वादी द्वारा विधि अनुसार सहायक कलेक्टर पोकरण में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का नियमित वाद पेश किया, जिसका क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से पत्रावली सहायक कलेक्टर बाप को स्थानान्तरित की गई। हस्तगत प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू ही नही होते है। सहायक कलेक्टर बाप द्वारा वाद पत्रावली को दिनांक 31-07-2024 को दर्ज कर पक्षकारों को सूचित करने बाबत आगामी तारीख पेशी दिनांक 14-08-2024 नियत की गई। दिनांक 14-08-2024 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त थे, इस कारण पत्रावली दिनांक 06-09-2024 को पक्षकारों की सूचना बाबत रखी गई। दिनांक 06-09-2024 को वादी/अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा उसी दिन तहसीलदार बाप द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी पीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया। कानूनन विचारण न्यायालय को अपीलार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दी जानी थी, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना तथा न किसी पक्ष की बहस सुने बिना उसी दिन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया। दौराने बहस वकील अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय में दिनांक 06-09-2024 अंकित है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अपीलाधीन निर्णय पीठासीन अधिकारी की स्थानान्तरण सूची आने के उपरान्त बेकडेट में पारित किया गया है। स्थानानतरण सूची मे सहायक कलेक्टर बाप की पोस्टिंग हो गई है, इस कारण सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा जानबूझकर अपीलर्थी को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय सरसरी दृष्टि से बेकडेट में

पारित कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित नहीं करवाया जाकर बल्कि पीठासीन अधिकारी सुनिल जी पवांर से सौर उर्जा कम्पनी के कुछ प्रतिनिधियों ने मिलकर अपीलाधीन निर्णय एक तरफा पारित करवाया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को आदेश 7 नियम 11 में खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार विधि अनुसार है। वादी वक्त बन्दोबस्त रेकर्डेड खातेदार था। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड से उसे बिना सुने राजस्व कर्मचारियों ने हटाकर वादग्रस्त भूमि को सिवाय चक दर्ज कर दिया। अर्थात् वादी के वाद में मुख्य अनुतोष रेकर्ड दुरस्ती का है अर्थात् राजस्व रेकर्ड में पर्चा लगान अनुसार वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना है। वादी का वाद केवल एडवर्स पजेशन के आधार पर नही था। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों अनुसार घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में मुख्य रूप से वाद पत्र को देखा जाता है, न कि प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को। वादी के वाद पत्र अनुसार यह वाद विधि अनुसार पोषणीय है, जिसमें आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रावधान लागू नहीं होते है। विचारण न्यायालय द्वारा बदनियतिपूर्ण तरीके से वादी के वाद को एक तरफा गलत रूप से खारिज कर दिया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त करने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2024 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादी के वाद में तनकीयात कायम की जाकर बाद साक्ष्य सुनवाई मामले का गुणावगुण पर पुनः निर्णय किया जावें। वकील अपीलांट द्वारा अपनी

बहस के समर्थन में न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 2016/08 अनवान शंकरलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जुलाई 2021 की निर्णय प्रति पेश की।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

रेस्पोडेंट संख्या दो के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या दो सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनी है, जिसे वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2751/3102 सहित ग्राम नोख की अन्य अनुपयोगी भूमि या सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु जिला कलक्टर फलोदी द्वारा आवंटित की गई है। वादग्रस्त आराजीयात सरकारी भूमि होने से अपीलांट को सरकारी भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात सोलर पार्क के लिए चिन्हित हो जाने के बाद वाद करण पैदा होना बताया है जो सर्वथा बनावटी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक भू-प्रबंध विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 172, 173, 2751 एवं 102 का पर्चा अपीलांट के नाम से जारी किया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा इसी आधार पर वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त

आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए वादी को सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना विधिसम्मत नहीं मानकर वाद खारिज किया जाना पाया जाता है। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने के तथ्य का निर्धारण मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 7 सीपीसी पर वाद विचारण प्रक्रिया के तहत वादी/अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद खारिज किया जाना पाया जाता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप अपीलांट अवसर प्रदान किये बिना उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 112/2024 प्रेमसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2024 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर, पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे और इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे। तब तक रेस्पोडेंट तहसीलदार बाप

विधिक उपचारों के तहत अपीलांट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर